राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 23 मार्च, 1990

क्रमांक 396-ज-II-90/7824.— श्री कांशी राम, पुत्र श्री भय राम, निवासी गांव बरहाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(iए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8062-आर-4-67/5006, दिनांक 2 फरवरी, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री कांशी राम की दिनांक 9 सितम्बर, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कांशी राम की विधवा श्रीमती सारां देवी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 344-ज-II-90/7828.—श्री टेक चन्द, पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव मण्ढोली कलां, तहसील लोहारू, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए), (iए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 14947-एम.एन.-III-66/18018, दिनांक 18 अगस्त, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री टेक चन्द की दिनांक 8 अक्तूबर, 1989 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री टेक चन्द की विधवा श्रीमती समरण के नाम खरीफ, 1990 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

सागर मल,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 20th March, 1990

No. 259-(2)-RBD-90/316.—With reference to this Department Notification No. 1532-2RBD-87/2303, dated 15th December, 1987, read with Notification Nos. 165-(2)-RDB-89/281, dated 17th February, 1989 and 963-(2)-RDB-89/1662, dated 5th October, 1989, the Governor of Haryana is pleased to accept the resignation of Shri Uda Ram, Advocate Barnala Road, Sirsa, from the non-official membership of the Rural Development Board, Haryana, with effect from 28th February, 1990.

2. The Governor of Haryana is further pleased to remove Shri Suman Singh, son of Shri Tek Ram Chairman, Block Samiti, Meham (Rohtak), from the non-official membership of the Rural Development Board, with immediate effect.

V. K. SIBAL,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.